मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान

(1) मोटर दुर्घटना किसी न किसी गलती के कारण होती है :-

उत्तराखण्ड देवभूमि के बद्रीनाथ एवं केदारनाथ धाम में भारतवर्ष के सभी राज्यों से लाखों लोग यहां दर्शन करने आते हैं और शायद ही ऐसा कोई वर्ष हो जब एक या दो बसें दुर्घटनाग्रस्त न होती हों। दुख की बात तो यह है कि प्रत्येक वर्ष बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के एक माह के अन्दर ही बसें दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। एक बस जो जो ीमठ के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर अलकनन्दा नदी में गिरी थी जिसमें न तो बस का पता चला और न ही उसके 29 यात्रियों का ही कुछ पता चला जो सभी जल समाधि हो गये। इस बस दुर्घटना का कारण यह था कि बस की विधिवत फिटनेस नहीं थी, क्योंकि इसमें ब्रेकें ठीक काम नहीं कर रही थी जिसके कारण बस पर नियन्त्रण न होन के परिणामस्वरूप बस दुर्घटनाग्रस्त होकर कई यात्रियों को अपनी जान खोनी पड़ी और 2-4 यात्री ही इसमें बच पाये जो कि गम्भीर रूप से घायल हुये थे। इसी प्रकार कर्णप्रयाग के पास जो बस दुर्घटना हुयी थी जिसमें भी बीसों आदमी जख्मी हुये और 15 से अधिक उसमें मर भी गये। इस बस दुर्घटना का कारण ड्राइवर द्वारा लापरवाही एवं नियमों का पालन न करना था। भले ही बस दुर्घटना में घायलों को उनकी चोटों का इलाज होने के बाद उनकी क्षतिपूर्ति के लिए विधि में व्यवस्था की गयी है, लेकिन यदि यह दुर्घटना होने से पहले ही इस पर नियन्त्रण कर लिया जाये तो यह सबके लिए लाभदायक होगा। यह जो दुर्घटनाएं हुयी जिसमें बीसों यात्रियों ने अपने जानें खोई और उनके परिवार बेसहारा हुये, इन परिवारों की धन में क्षतिपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है परन्तु मोटर यान अधिनियम की धारा 140 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह बच्चा हो, या जवान हो या बूढ़ा हो उसके उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000.00 रुपये की धनराशि दी जाये। यदि मोटर दुर्घटना करने वाली बस बीमाकृत न हो तो इस धनराशि को बस के मालिक या ड्राइवर से वसूल की जा सकती है। परन्तु जहां बस का बीमा होता है वहां क्षतिपूर्ति आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि बस मोटर यान दुर्घटना में एक साल के बच्चे की भी मृत्यु हो जाय तो उसके परिवार वाले इस अधि ानियम के अन्तर्गत 50,000.00 रुपये की धनराशि धारा 140 के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं वैसे इससे अधिक क्षतिपूर्ति की धनराशि तभी उपलब्ध कराई जा सकती है जब उसका नुकसान इससे अधिक हुआ हो लेकिन कम से कम 50,000.00 रूपये की धनराशि दिया जाना बाध्यकर है। इसी तरह जहां तक चोटों से उसे हुयी क्षति पूर्ति का प्रश्न है उसमें भी चोटों के इलाज पर जितना व्यय हुआ और चोटों से उसे विकलांगता या असमर्थता हुयी हो उसकी क्षतिपूर्ति भी मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत न्यायालय में पीटिशन देकर धनराशि प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यह सब दुर्घटना घटित होने से पहले ही यदि मोटर यान अधिनियिम के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों का कड़ाई से पालन किया जाय तो मोटर दुर्घटनाएं रोकी जा सकती है। मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत मोटर दुर्घटनाओं को नियन्त्रित करने हेतु जो व्यवस्था की गयी है उसकी मुख्य-मुख्य व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं:-

(क) बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाना अपराध हैं-

मोटर यान अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति पब्लिक स्थान में तब तक मोटर वाहन नहीं चला सकता है जब तक उसके पास वाहन चलाने का विधिवत लाइसेंस न हो। मोटर वाहन में बसें, ट्रक, कारें, स्कूटर इत्यादि सभी सम्मिलित है और यात्री बस या ट्रक को चलाने के लिये अलग लाइसेंस की जरूरत होती है। जहां तक स्कूटर के लाइसेंस का प्रश्न है उसमें 55 सी0सी0 तक की मोटर साइकिल चलाने के लिये किसी भी व्यक्ति की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक निध ारित की गई है जब कि यात्री बसों के चलाने वाले ड्राइवर की आयु 20 वर्ष या उससे अधिक होनी जरूरी है और अन्य मोटर वाहन चलाने वाले ड्राइवर की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये। इस प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस विधिवत प्राप्त करके

ही वाहन को पब्लिक स्थान पर चलाया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के पकड़ा जाता है तो उसको इस अधि ानियम के अन्तर्गत चालान करके दण्डित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

(ख) ड्राइवर के लाइसेंस को रद्द किया जा सकता हैं :-

यदि कोई ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाने का अभ्यस्त है या उसने गाड़ी चलाते हुये कोई अपराध किया है या वह खतरनाक रूप से गाड़ी चलाता है तो ऐसे ड्राइवर का लाइसेंस अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत रद्द किया जा सकता है।

(ग) गाड़ी के कण्डक्टर को भी लाइसेंस की जरूरत होती है:-

प्राय: यह देखा गया है कि ट्रकों या बसों के कण्डक्टर अनजान होते हैं और उनकी लापरवाही के कारण भी वाहन पर ड्राइवर द्वारा प्रभावी नियन्त्रण नहीं हो पाता इसलिये मोटर यान अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी मंजिली गाड़ी में कोई भी कण्डक्टर बिना लाइसेंस के नहीं होगा और यदि कोई गाड़ी का मालिक ऐसे किसी व्यक्ति को कण्डक्टर के रूप में बिना लाइसेंस के रखता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में मोटर यान अधिनियम की धारा 29 में यह स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि किसी भी व्यक्ति को कण्डक्टर होने के लिए अनुज्ञापन प्राधि ाकारी से लाइसेंस प्राप्त करना आव यक है इसलिये इस बात का सबका कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि किसी भी गाड़ी में कोई भी बिना लाइसेंस के कण्डक्टरी करते हुए पाया जाय तो उसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को की जाय ताकि ऐसे व्यक्ति एवं गाड़ी के मालिक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकें। इसी प्रकार यदि कोई यात्री बस या मंजिली गाड़ी का कण्डक्टर लाइसेंस शुदा होने के बाद भी बदतमीजी करता है या कोई गलत काम करता है तो उसके विरूद्ध मोटर यान अधि ानियम की धारा 34 के अन्तर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करके ऐसे कण्डक्टर का लाइसेंस रदद् किया जा सकता है या उसे एक वर्ष की अवधि तक के लिये सस्पेण्ड किया जा सकता है।

(घ) प्रत्येक मोटर वाहन का पंजीकृत होना परम आवश्यक है :-

कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन को बिना पंजीकरण कराये पब्लिक स्थान पर नहीं चला सकता इसलिये मोटर यान अधिनियम की धारा 39 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मोटर वाहन के मालिक द्वारा परिवहन के लिये उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। यदि कोई बिना वाहन का पंजीकरण कराये मोटर वाहन चलाया जाता हे तो वह इस मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं यदि कोई भी वाहन बिना विधिवत परमिट के चलाया जाता है तो मोटर यान अधिनियम की धारी 53 के अन्तर्गत उसको सस्पेण्ड किया जा सकता है।

(2) ड्राइवर के कर्त्तव्य :-

मोटर यान अधिनियम में मुख्य-मुख्य धाराओं में ड्राइवर के कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है जिसके अन्तर्गत यदि मोटर वाहन का ड्राइवर अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है। इस संबंध में मुख्य-मुख्य धाराएं इस प्रकार हैं:-

1- धारा 111 के अन्तर्गत गाड़ी चलाने हेतु गति की सीमा निर्धारित की गई है जिस पर वाहन को चलाना होता है। यदि ड्राइवर निर्धारित गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाता है तो उसे धारा 111 व 112 में दण्डित किया जा सकता है।

2- इसी प्रकार जो गाड़ियाँ सामान लेकर चलती हैं उसके वनज की सीमा अधिनियम की धारा 113 एवं 114 में निर्धारित की गई हैं जिसका अनुपालन न करने पर ड्राइवर एवं उसके मालिक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गई है।

3- प्राय: ड्राइवर लापरवाही से वाहन को गलत स्थान पर छोड़ जाता है। इस पर नियन्त्रण करने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 में पार्किंग करने के स्थान का वर्णन किया गया है एक ऐसा स्थान जहां मोटर वाहन किसी निश्चित समय तक ठहर सकेगा यह स्थान पड़ाव कहलाएगा और दूसरा स्थान जहां सार्वजनिक सेवा यान उस समय तक ठहर सकेगा जितने समय तक यात्रियों को उतार व चढ़ा सकेगा। यह स्थान विराम स्थान (हाल्टिग प्लेस या स्टौपेज)

कहलाता है। अत: यदि ड्राइवर द्वारा वाहन को खतरनाक स्थिति में छोड़ा जाता है तो उसको इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है।

4- प्राय: यह देखने में आया है कि दुर्घटना होने पर वाहन का ड्राइवर अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं करता है। इस संबंध में ड्राइवर के कर्त्तव्यों का उल्लेख इस अधिनियम की धारा 134 में किया गया है और यदि कोई ड्राइवर अपने कर्त्तव्यों का पालन न करने का दोषी हो तो उसको दण्डित किया जा सकता है।

5- इसी तरह वाहन पर ड्राइवर द्वारा बिना वैध कागजात के गाड़ी चलाने की आम घटनाएं देखी जाती है उस पर नियन्त्रण करने के उद्देश्य से इसी अधिनियम की धारा 130 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि वाहन चलाते समय ड्राइवर को अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, परमिट, बीमा इत्यादि वैध कागजात रखना जरूरी है जो कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उनको पेश करने का दायित्व उसका है।

6- यह भी प्राय: शिकायत मिलती है कि कोई ट्रक या बस ड्राइवर ऐसे हौर्न का प्रयोग करते हैं जो सुरक्षा के लिए हानिकारक होते हैं और या तो हौर्न का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करते। इस संबंध में इसी अधिनियम की धारा 121 के अन्तर्गत संकेत और संकेतिक यन्त्रों का प्रयोग करने की व्यवस्था की गयी है जिसका अनुपालन करना ड्राइवर पर बाध्यकर है। यह भी देखा जाता है कि वाहन के ड्राइवर को या तो लाइसेंस जारी करते समय उन्हें यात्रा चिन्हों का पर्याप्त ज्ञान नहीं कराया जाता या वे इसकी अनदेखी कर देते है। इसलिये यात्रा चिन्हों के प्रति कर्त्तव्यों का पालन करने के उद्देश्य से धारा 119 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है और इसको बाध्यकर बनाया गया है और ऐसा न करने पर वाहन के ड्राइवर के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

7- बस ड्राइवर लालच के कारण सवारियां बस के अन्दर बिठाने के साथ-साथ छतों पर भी बिठा देते हैं और सीट न होने पर कभी-कभी फुट बोर्ड पर भी सवारी ले जाते हैं जो कि धारा 118 के अन्तर्गत अपराध है और ऐसे ड्राइवर को जो यात्रियों को छत या फुट बोर्ड पर ले जाते है उनको इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है। इसलिये यदि कोई ड्राइवर अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता है तो इसकी शिकायत अनुज्ञापन प्राधिकारी को करनी चाहिये और निकटतम पुलिस थाने में भी इसकी सूचना दे देनी चाहिए ताकि ऐसे मोटर वाहन के ड्राइवर एवं वाहन मालिक के विरूद्ध कर्त्तव्यों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जा सके।

(3) मोटर वाहन के मालिक के कर्त्तव्य:-

मोटर वाहन के स्वामी के लिए भी ड्राइवर के कर्त्तव्यों की तरह इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है। मोटर वाहन से जो भी दुर्घटनाएं ड्राइवर द्वारा की जाती है इनका दायित्व मोटर वाहन के मालिक का भी है इसलिये इस मोटर यान अधिनियम की धारा 126 में मोटर वाहन को खड़े होने का दायित्व मोटर स्वामी का भी है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि गाड़ी को सार्वजनिक स्थान पर बिना सम्भाल कर न छोड़ा जाय। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन के संबंध में जो भी कागजात हैं उनको प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर उन्हें पेश करने का दायित्व धारा 130 में मोटर स्वामी का भी है। इसके अतिरिक्त जब भी मोटर मालिक के वाहन से उसके ड्राइवर द्वारा या अन्यथा दुर्घटना हो जाती है तो इसकी सूचना देने का कर्त्तव्य इस अधिनियम की धारा 133 में मोटर स्वामी का भी दिया गया है। मोटर मालिक को भी अपनी गाड़ी का पूरा ध्यान रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका ड्राइवर मोटर यान अधिनियम में दिये गये सभी दायित्वों का पालन करता है और इसके साथ-साथ मोटर वाहन स्वामी भी इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों का स्वयं उल्लंघन न करता हो।

(4) मोटर वाहन के यात्रियों के कर्त्तव्य :-

जहां एक तरफ मोटर यान अधिनियम में मोटर मालिक एवं ड्राइवर के कर्त्तव्य निर्धारित किए गये हैं वहीं इसके साथ-साथ यात्रियों के कर्त्तव्यों की व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक यात्री का यह कर्त्तव्य है कि वह ड्राइवर को बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और यदि वह बाधा उत्पन्न करता है तो इस अधिनियम की धारा 125 मे अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति बिना टिकट के गाड़ी में यात्रा नहीं करेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा करता है तो उसके विरूद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 124 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। कभी-कभी बस मालिक या ड्राइवर के मना करने पर भी जबरदस्ती यात्री चलती गाड़ी के फुट बोर्ड या छत पर यात्रा करते हैं। ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 123 के अन्तर्गत कार्यवाही करके उसे दण्डित किया जा सकता है।

(5) प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकारी की शक्तियां :-

निश्चय ही जहां एक तरफ दुर्घटना को रोकने के लिए मोटर यान अधिनियम में पर्याप्त व्यवस्था की गई है परन्तु इसका लाभ तभी आम जनता एवं मोटर प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को मिल सकता है जब इन प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाय। इसके लिये जहां पुलिस एवं अनुज्ञापन प्राधिकारों को अधिनियम में पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं जिसमें मोटर वाहन के ड्राइवर या मालिक द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत अपराध करने पर उन्हें दण्डित कराया जा सकता है वहीं ऐसे अपराधों को करने में मोटर वाहन के ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर वाहन स्वामी का रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट, कण्डक्टर का लाइसेंस इत्यादि को भी सस्पेण्ड या रदद् किया जा सकता है। इसके लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को चाहिये कि वह समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करें कि सभी वाहन प्रयोग करने वाले चालक या उनके मालिक इन नियमों का पालन करते हैं और अनदेखी करने पर उनकों पर्याप्त रूप से दण्डित किया जाय ताकि वे भविष्य में मोटर यान अधिनियम के प्राविधानों के प्रति सतर्क रहें और इनका पालन करें। इस संबंध में जहां मोटर वाहन में निर्धारित सवारियों की संख्या से अधिक सवारी ले जाना, निर्धारित सीमा से अधिक वनज ले जाने का प्रश्न है उसके लिये प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे वाहन को मोटर यान अधिनियम की धारा 113 व 114 के अन्तर्गत अधिक वनज या निर्धारित संख्या से अधिक सवारी ले जाने पर ऐसे वाहन के प्रयोग पर धारा 115 के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगा सकता है। जहां तक मोटर वाहन के पार्क करने सम्बन्धी स्थान का प्रश्न है, उसके बावत विधिवत नियन्त्रण एवं व्यवस्था करने के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यक्ति वाहन को ठहराने के स्थान या पार्किंग का स्थान तय करने का उसका कर्त्तव्य है जिसकी व्यवस्था मोटर यान अधिनियम की धारा 117 में की गयी है। जो वाहन बिना यातायात चिन्ह लगवायें वाहन के उपयोग में लापरवाही करते हैं ऐसे वाहन चालकों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये अधिनियम की धारा 116 के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है।

जहां कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसका निरीक्षण कराने के दायित्व की इस मोटर वाहन अधिनियम की ध ारा 136 में व्यवस्था की गई है जिसका पालन करना प्राधिकृत व्यक्ति का दायित्व है।

विवरण	**दण्ड की व्यवस्था**
1- अपराधों के दण्ड के लिये साधारण उपबन्ध	धारा 177 के अन्तर्गत प्रथम अपराध के लिये 100.00 रुपये व पश्चात् वर्ती अपराध के लिये 300.00 रू0 अर्थदण्ड
2- टिकट के बिना यात्रा करने व कण्डक्टर द्वारा कर्त्तव्य की अवहेलना करना।	धारा 178-500-00 रूपये अर्थदण्ड दुपहिया वाहन के लिये 50-00 रूपये
3- आदेशों की अवहेलना, अवरोध पैदा करना।	धारा 179-500.00 रूपये अर्थदण्ड एवं एक माह का कारावास।
4- अनाधिकृत व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति देना 1000.00 रुपये अर्थदण्ड।	धारा 180 में 3 माह का कारावास या
5- धारा 3 या 4 का उल्लंघन करना	धारा 181-500.00 रू0 अर्थदण्ड या तीन माह का कारावास।
6- अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध	धारा 182-चालक पर 500/- रू0 परिचालक पर 100.00 रू0 अर्थदण्ड।
6 ए- वाहन के निर्माण एवं संधारण संबंधी अपराध।	धारा 182- क-5000/- रू0 अर्थदण्ड।
7- तेज गति से वाहन चलाना	धारा 183 प्रथम अपराध में 400/- रू0 एवं तत्पश्चात् 1000/-रू0 अर्थदण्ड।

8- खतरेपूर्ण तरीके से वाहन चलाना अपराध कारित किया गया है तो दो	धारा 184-प्रथम अपराध के लिये 6 माह का कारावास 1000/- रू0 अर्थदण्ड, यदि 3 वर्ष के भीतर पुनः वर्ष की सजा या 2000/- रू0 अर्थदण्ड।	
9- नशे या ड्रग्स के प्रभाव में वाहन चलाना (खून की जांच आवश्यक है)	धारा 185-प्रथम अपराध में 6 माहया 2000/- रू0 अर्थदण्ड, यदि अपराध तीन वर्ष के अन्तर्गत पुनः पारित हुआ तो 2 वर्ष के कारावास या 3000/रू0 अर्थदण्ड।	
10- मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना।	धारा 186 प्रथम अपराध में 200/- रू0 अर्थदण्ड, द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए 500-00 रू0 अर्थदण्ड।	
11- दुर्घटना से सम्बन्धित अपराधों के लिए दण्ड।	धारा 187 तीन माह का कारावास 500-00 रू0 अर्थदण्ड। यदि पर्व से ऐसे किसी अपराध का दोष सिद्ध है तो 6 माह का कारावास या 1000-00 रू0 अर्थदण्ड।	
12- मोटर वाहन अधिनियम की धारा प्रस्तावित दण्ड। दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।	धारा 188, 184, 185, 196 के अनुसार	184, 185 व 186 के अन्तर्गत
13- दौड़ व गति का मुकाबला करना	धारा 189 एक माह का कारावास या 500-00 रू0 तक अर्थदण्ड।	
14- असुरिक्षत दशा वाले यान का उपयोग किया जाना।	धारा 190-तीन माह का कारावास या 1000-00 रू0 का अर्थदण्ड।	
15- वाहन को ऐसी परिस्थिति में विक्रय या परिवर्तन किया जाना जिससे इस अधिनियम का उल्लंघन हो।	धारा 191-500-00 रू0 तक का अर्थदण्ड।	
16- बिना रजिस्ट्रीकरण के यानों का उपयोग। प्रथम बार, द्वितीय अपराध के लिये एक वर्ष का कारावास या जुर्माना 10000/-रू0 तक।	धारा 192 में 5000-00 रू0 का अर्थदण्ड	
16 ए- बिना परमिट के यानों का उपयोग। अर्थदण्ड तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए एक वर्ष का कारावास या दस हजार रू0 अर्थदण्ड।	धारा 192-प्रथम अपराध में 5000-00रु0	
17- प्राधिकार के बिना एजेण्ट एवं प्रचारक के रूप में कार्य करने वाले के लिए दण्ड की व्यवस्था।	धारा 193 प्रथम अपराध में 1000-00 रू0 अर्थदण्ड पश्चातवर्ती 6 माह का कारावास या 2000-00 रू0 तक जुर्माना।	
18- अनुज्ञेय वजन के अधिक वजन तक का दण्ड और अतिरिक्त भार के भार का वजन कराने से पूर्व माल हटाना	धारा 194 प्रथम अपराध में 2000.00 रू0 वाले यान का चलाना। लिए प्रतिटन 1000-00 रू0। अतिरिक्त अर्थदण्ड 3000-00 रू0	

19- बिना बीमा किये वाहन को चलाना धारा 146 का उल्लंघन	196 में तीन माह का कारावास या 1000-00 रू0 जुर्माना।	
20- बिना अनुमति व अधिकार के या वाहन ले जाना।	धारा 197 में तीन माह की सजा 500-00 रू0 तक अर्थदण्ड या दोनों	
21- यान में अनाधिकृत हस्तक्षेप	धारा 198 में 100-00 रू0 तक	अर्थदण्ड।
22- यातायात के मुक्त प्रवाह के दण्ड। सार्वजनिक स्थान में वाहन को इस तरह खड़ा करना जिससे यातायात अवरूद्ध हो।	धारा 201 में 50-00 रू0 प्रति घण्टे का	अवरूद्ध करने के लिए दण्ड।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील - जनपद-

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -